

update हो चुकी है  
माल मिला 21/11/18

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 9(6)राज-1/2017

जयपुर, दिनांक : 16/08/2018

—:संशोधित अधिसूचना:—

राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी संमसख्यक अधिसूचना दिनांक 25.01.2018 की क्रम संख्या 2 में नवीन राजस्व ग्राम तिवाडी की ढाणी के स्थान पर तिवाडी की ढाणी न01 पढ़ा जावें।

सीकर  
संवेदन

आज्ञा से

21/8

(शक्ति सिंह राठौड़)  
संयुक्त शासन सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महो0, राजस्थान, राजभवन जयपुर।
  2. उप सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महो0, राजस्थान सरकार।
  3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राज0 सरकार।
  4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
  5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
  6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
  7. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
  8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
  9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
  10. निदेशक, जनगणना विभाग राज0, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
  11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।
  12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर।
  13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत। हार्ड व सॉफ्ट प्रति आपकी ईमेल आई डी-  
govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक 16.08.2018 को प्रेषित कर दी गई है।
  14. महाडाकपाल, राज0 जयपुर।
  15. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
  16. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  17. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

कृपउ